

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर ।

संख्या : 1078 / जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2019-20 / रामपुर / दिनांक : फरवरी 11, 2019

विज्ञप्ति


इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2019 के अन्तर्गत नवीकृत दुकानों के अतिरिक्त ऐसी दुकाने जो त्रुटिपूर्ण आधार नम्बर के कारण नवीनीकरण हेतु रजिस्टर्ड नहीं हो सकी थी, के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त उ0प्र0 के पत्र संख्या - 45476-45550/ दस-लाइसेंस-421/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20 दिनांक : प्रयागराज: फरवरी 4, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जनपद रामपुर की देशी मदिरा की दो दुकानों मुबारकपुर एवं खजूरिया का नवीनीकरण नीचे दी गयी समय सारणी के अन्तर्गत किया जाना है। नवीनीकरण के नियम व शर्तें पूर्व की भांति रहेंगी। दुकान नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस रू0 18,000 प्रति दुकान व इस पर देय जी0एस0टी0 का ऑनलाइन भुगतान करते हुये www.upexciseelottery.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।


नवीनीकरण हेतु समय सारणी व दुकानों का विवरण :-

क्र0	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शॉप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक हर्ताओं के विवरण के साथ स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	06.02.2019
2	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	06.02.2019 पूर्वाह्न 10:00 बजे से
3	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	06.02.2018 सायं 17:00 बजे तक

दुकान का विवरण

क्रं	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	शॉप आई0 डी0	प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 का मूल एम0 जी0 क्यू0	31.01.2019 तक वास्तविक उठान	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एम0जी0 क्यू0	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	12
1	खजूरिया	अनुपम कुमार मिश्र	17743	ग्रामीण	6600	3595.25	7128	213840	158242	त्रुटिपूर्ण आधार नम्बर के कारण
2	मुबारकपुर	तदैव	17788	तदैव	6600	3788	7128	213840	158242	तदैव


जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर


जिलाधिकारी
रामपुर।

संख्या / तददिनांक


प्रति- स्थानीय संवादाता 1-

2-

को इस आशय

से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर।